न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 228 / 17 निर्णय दिनांकः 22.10.2018

1. वली मोहम्मद पुत्र अज्जु खॉ जाति मुसलमान निवासी लाखनसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. डूंगरराम पुत्र नारायणराम जाति ब्राहमण निवासी सोढेवाली तहसील लूणकरनसर हाल चक 1 आरएसएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरूद्व आदेश दिनांक 06—07—2015
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः—

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री चतुर्भज सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 06—07—2015 जिसके द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र जैरकार रहते हुए भी वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम)1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 1 एल.के.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 133/50 के किला नम्बर 1 ता 25 में तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन में आवंटन हेतु अपीलांट द्वारा वर्ष 2007 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर दिनांक 06—07—2015 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि कभी भी टीसी में किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं की गई थी ना ही उक्त भूमि टीसी आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि थी क्योंकि वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित व विशेष आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि थी। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर नहीं करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की गई है।

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 17—06—2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए सहवन से छूटे नाम को पुनः रिकार्ड में अंकन किये जाने की इस्तदुआ की गई। उक्त प्रार्थना पत्र में यह कहीं नहीं लिखा गया कि उक्त भूमि का टीसी आवंटन किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर गलत रिपोर्ट अंकित करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जबकि अदालत मातहत के समक्ष ना तो टीसी का पट्टा पेश किया गया ना ही टीसी बाबत् प्रार्थना पत्र दिया गया व ना ही प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर का खुलासा किया गया। अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार व पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत गलत रिपोर्ट के आधार पर मनमर्जी से वादगत् भूमि को गैर खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा ना तो पत्रावली बनाई गई ना ही फोटो फार्म जारी किया गया, मात्र रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि का अंकन गैर खातेदारी के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है जो स्पष्ट रूप से आवंटन नियमों के विपरीत का कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व न तो अपीलांट का कोई नोटिस प्रदान किया गया ना ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। जबकि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु वर्ष 2007 में ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया

जा चुका था। यदि वादगत् भूमि का आवंटन विशेष आवंटन में किया जाता तो ऐसी स्थिति में सरकार को आर्थिक लाभ पहुँचता, अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए राज्य सरकार को भी आर्थिक नुकसान पहुँचाया गया है। आवंटन नियमों में आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर टीसी आवंटन का कोई प्रावधान निहित नहीं है। अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो स्पष्ट रूप से आवंटन नियमों के विपरीत पारित किया गया आदेश है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति में रखा जाकर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का भी आवेदन था। इसलिए आराजी जैर के आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे आवंटन सलाहकार समिति की राय से व आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंसा के उपरान्त ही वादगत् भूमि के बाबत् किसी प्रकार के आदेश जारी करती। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को अनदेखा कर आराजी जैर का अंकन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में बतौर गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश बेजा फायदा पहुँचाने की नियत से पारित किये गये है। आवंटन नियमों में स्पष्ट रूप से प्रावधान निहित है कि कोई भी आवंटन यदि आवंटन सलाहकार समिति की राय के बिना किसी जाता है तो ऐसे आवंटनों की कानूनन कोई अहमियत नहीं है तथा ऐसा आवंटन प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य एवं एबईनिशियोंवाईड आवंटन की श्रेणी का है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जबकि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था तथा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आज दिनांक को भी अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है। जिस पर अदालत मातहत द्वारा

कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। इस प्रकार आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी(उत्तर), बीकानेर द्वारा दिनांक 31—08—1971 को रोही लाखनसर में खसरा नम्बर 87 में 20 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पट्टे की नकल, भू—राजस्व वसूली की रसीदें, पुरानी गिरदावरी की नकल आदि प्रस्तुत किये गये थे। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड यथा खसरा गिरदावरी में संवत् 2027, 2040 से 2044 तक दर्ज रहा है। लेकिन बाद में उक्त रकबा चक में आ जाने के कारण से चक 1 एलकेएसएम के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अंकन से छूट गया। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आज दिनांक तक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त रकबे को राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज करने की कृपा करावें।

उक्त प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित पटवारी से वादगत् भूमि के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का द्वारा स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम रोही ग्राम लाखनसर के खसरा नम्बर 87 में 20 बीघा बारानी भमि

दिनांक 31—08—1971 को आवंटन हुई तथा प्रार्थी का नाम खसरा गिरदावरी संवत् 2028 में दर्ज है। इसी प्रकार खसरा गिरदावारी संवत् 2035 से 2038 एवं खसरा गिरदावरी सवंत् 2040 से 2044 में भी खसरा नम्बर 257/87 में भी 20 बीघा बारानी भूमि प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज है।

इसी रिपोर्ट में आगे अभिलिखित किया गया है कि मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी सवंत् 2058 से 2062 में चक 1 एलकेएसएम के मुरब्बा नम्बर 133/50 में 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि अनकमाण्ड रकबाराज दर्ज है उपरोक्त भूमि मुताबिक सूचि नम्बर 4 के रोही लाखनसर के खसरा नम्बर 87 से बना है। खसरा गिरदावारी एवं जमाबन्दी तहरीर के वक्त सहवन से प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम गैर खातेदार छूटकर आराजीराज दर्ज हो गया है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। इसी रिपोर्ट में यह भी अभिलिखित किया गया है कि पुराने इंतकालों से मिलान किया गया तो पाया कि उक्त रकबे का कोई प्रतिफल, खसरा दुरूस्ती, अन्यत्र नहीं लिया गया है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह पाये जाने पर कि प्रार्थी को रोही लाखनसर मे उक्त भूमि खसरा नम्बर 87 में 20 बीघा बारानी भूमि दिनांक 31—08—1971 को आवंटन हुई। पुरानी खसरा गिरदावरी में प्रार्थी का नाम दर्ज रहा है। तत्पश्चात् चक में रकबा आ जाने से रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज होने से छूट गया। मुताबिक सूची नम्बर 4 के अनुसार इस खसरे से चक 1 एलकेएसएम के मुरब्बा नम्बर 133/50 में 24.10 बीघा आराजीराज दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज है। ऐसी स्थिति में चक 1 एलकेएसएम के मुरब्बा नम्बर 133/50 की 24.10 बीघा भूमि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश पूर्ण रूप से विधि सम्मत तरीके से पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र का प्रश्न है। जब वादगत् भूमि वर्ष 1971 से ही रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को बतौर टीसी आवंटित भूमि रही है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि किसी भी तरह से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं रही है तथा वादगत् भूमि वर्ष 1971 से ही रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 की आक्यूपाईड लैण्ड रही है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करने मात्र से अपीलांट के वादगत् भूमि पर किसी प्रकार के हक व हकूक पैदा नहीं होते है। अपीलांट द्वारा अपील मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर चक 1 एलकेएसएम के मुरब्बा नम्बर 133/50 में रकबा 24.10 बीघा अनकमाण्ड भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को गैरखातेदार दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का यह कथन की उनके द्वारा उक्त रकबे के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था। जिस पर गौर किये बिना आराजी जैर को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में गैर खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली, अपीलाधीन आदेश व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

(3) प्रकरण में सर्वप्रथम बिन्दु यह उठता है कि क्या वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर टीसी आवंटित भूमि थी अथवा नहीं? इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत दिनांक 31—08—1971 को हुए टीसी आवंटन पट्टे की प्रति

की तरफ ध्यान आकर्षित कराया गया। जिसके अवलोकन से यह तथ्य भलींभांति साबित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ग्राम लाखनसर के खसरा नम्बर 87 में 20 बीघा बारानी भूमि आवंटित की गई थी।

(4) प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर द्वारा दिनांक 31–08–1971 को रोही लाखनसर में खसरा नम्बर 87 में 20 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पट्टे की नकल, भू–राजस्व वसूली की रसीदें, पुरानी गिरदावरी की नकल आदि प्रस्तुत किये गये थे। जिसके अनुसार वादगत् भूमि के राजस्व रिकार्ड यथा खसरा गिरदावरी में संवत् 2027, 2040 से 2044 तक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 का नाम दर्ज रहा है।

कालान्तर में उक्त रकबा चकों में आ जाने के कारण से वादगतृ भूमि चक 1एलकेएसएम के मुरब्बा नम्बर 133/50 में 24.10 बीघा भूमि पैमूद हुई जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम अंकन से छूट गया। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आज दिनांक तक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त रकबे को राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज करने की कृपा करावें।

(5) प्रस्तुत मामलें में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित पटवारी से वादगत् भूमि के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ग्राम लाखनसर के खसरा नम्बर 87 में 20 बीघा बारानी भमि दिनांक 31–08–1971 को आवंटन हुई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी का नाम खसरा गिरदावरी संवत् 2028, 2035 से 2038 एवं 2040 से 2044 में भी खसरा नम्बर 257/87 में भी 20 बीघा बारानी भूमि प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। इसी रिपोर्ट में आगे अभिलिखित किया गया है कि मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी सवंत् 2058 से 2062 में चक 1 एलकेएसएम के मुरब्बा नम्बर 133/50

में 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि अनकमाण्ड रकबाराज दर्ज है उपरोक्त भूमि मुताबिक सूचि नम्बर 4 के रोही लाखनसर के खसरा नम्बर 87 से बना है। खसरा गिरदावारी एवं जमाबन्दी तहरीर के वक्त सहवन से प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम गैर खातेदार छूटकर आराजीराज दर्ज हो गया है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। इसी क्रम में यह भी अंकित किया गया है कि पुराने इंतकालों से मिलान किया गया तो पाया कि उक्त रकबे का कोई प्रतिफल, खसरा दुरूस्ती, अन्यत्र नहीं लिया गया है। इस प्रकार यह तथ्य भलींभांति साबित होता है कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वर्ष 1971 में बतौर टीसी आंवटित भूमि रही है।

(6) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह पाये जाने पर कि प्रार्थी को रोही लाखनसर मे उक्त भूमि खसरा नम्बर 87 में 20 बीघा बारानी भूमि दिनांक 31—08—1971 को आवंटन हुई। पुरानी खसरा गिरदावरी में प्रार्थी का नाम दर्ज रहा है। तत्पश्चात् चक में रकबा आ जाने से रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज होने से छूट गया। मुताबिक सूची नम्बर 4 के अनुसार इस खसरे से चक 1 एलकेएसएम के मुरब्बा नम्बर 133/50 में 24.10 बीघा आराजीराज दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज है। ऐसी स्थिति में चक 1 एलकेएसएम के मुरब्बा नम्बर 133/50 की 24.10 बीघा भूमि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है।

चूंकि प्रकरण में वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर टीसी आवंटित भूमि रही है। जो किसी भी तरह से अन्यत्र आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी। प्रकरण में अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र जैरकार है। ऐसी स्थिति में अपीलांट वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जब वादगत् भूमि पूर्व से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित भूमि रही है। ऐसीस्थिति में केवल मात्र आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने मात्र से अपीलांट के वादगत् भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार सर्जित नहीं होते है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुए व इस तथ्य की भलींभांति जॉच करने के उपरान्त ही वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के

नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज अंकन करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि परिलक्षित नहीं होती है। लिहाजा अदालत मातहत के आदेश जैर अपील की पुष्टि की जाती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 06—07—2015 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर